

बलिकसि बानो मामला और परहार

प्रलिमिंस के लिये:

बलिकसि बानो मामला और परहार, दंड का परहार, 2002 दंगे, [सर्वोच्च न्यायालय](#), [केंद्रीय अनवेषण बयुरो](#), [अनुच्छेद 72](#)

मेन्स के लिये:

बलिकसि बानो मामला और परहार, वभिन्न क्षेत्रों में वकिस के लिये सरकारी नीतियाँ एवं हस्तक्षेप तथा उनकी रूपरेखा और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने गुजरात राज्य में वर्ष 2002 के दंगों के दौरान बलिकसि बानो के साथ सामूहिक बलात्कार तथा उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या में शामिल 11 दोषियों को दंड परहार देने के गुजरात सरकार के नरिणय को रद्द कर दिया है।

बलिकसि बानो मामले की पृष्ठभूमि क्या है?

- वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उक्त गर्भवती महिला बलिकसि बानो के साथ **क्रूर सामूहिक बलात्कार** किया गया था तथा उसकी तीन वर्ष की बेटी सहित परिवार के सात सदस्यों को दंगाइयों ने मार डाला था।
- व्यापक वधिकि कार्यवाही के बाद [केंद्रीय अनवेषण बयुरो](#) (Central Bureau of Investigation- CBI) ने मामले की जाँच की।
- वर्ष 2004 में बलिकसि को **जान से मारने की धमकियाँ मलिन के बाद SC ने मुकदमे को गुजरात से मुंबई न्यायालय स्थानांतरित कर दिया** तथा केंद्र सरकार को एक वशेष लोक अभयिोजक (Public Prosecutor) नयुक्त करने का नरिदेश दिया।
- वर्ष 2008 में मुंबई की एक न्यायालय ने 11 व्यक्तियों को सामूहिक बलात्कार तथा हत्या में शामिल होने के लिये दोषी सदिध किया जो बलिकसि बानो को न्याय दलाने की दशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था।
- हालाँकि अगस्त 2022 में **गुजरात सरकार ने इन 11 दोषियों को परहार/माफी दे दी** जिससे उनकी रहिई हो गई। इस नरिणय ने संबद्ध छूट देने के लिये उत्तरदायी प्राधकिरण तथा क्षेत्राधकिार के संबंध में चतियाओं के कारण वविाद एवं वधिकि चुनौतियों को उजागर किया।

गुजरात सरकार की दंड परहार अनुदान को रद्द करने वाला सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय क्या है?

- अधकिार की कमी और छुपाए गए तथ्य:**
 - न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि **गुजरात सरकार के पास दंड परहार के आदेश जारी करने का अधकिार या क्षेत्राधकिार नहीं है।**
 - CrPC की धारा 432** के तहत, राज्य सरकारों के पास कसिी दंड को नलिबति करने या क्षमा करने की शक्ति है। लेकनि न्यायालय ने कहा कि कानून की धारा 7(B) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि **उपयुक्त सरकार वह है जिसके अधकिार क्षेत्र में अपराधी को सज़ा सुनाई जाती है।**
 - इसने बताया कि **दंड परहार देने का नरिणय उस राज्य के अधकिार क्षेत्र में होना चाहिये** जहाँ दोषियों को सज़ा सुनाई गई थी, न कि जहाँ अपराध हुआ था या जहाँ उन्हें कैद किया गया था।
- दंड परहार प्रक्रिया की आलोचना:**
 - न्यायालय ने यह उल्लेख करते हुए **दंड परहार प्रक्रिया में गंभीर खामियों को उजागर किया** है कि आदेशों पर उचित वचिर नहीं किया गया और तथ्यों को छपिकर प्राप्त किया गया, जो न्यायालय के साथ धोखाधड़ी है।
- सत्ता का अतरिक और गैरकानूनी प्रयोग:**
 - न्यायालय ने **गुजरात सरकार की अतरिक की आलोचना** करते हुए कहा कि उसने दंड परहार के आदेश जारी करने में उस शक्ति का गैरकानूनी तरीके से प्रयोग किया जो महाराष्ट्र सरकार के पास थी।
- स्वतंत्रता याचिका के नरिदेश और अस्वीकृति:**

- अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिये दोषियों की याचिका को खारजि करते हुए, न्यायालय ने उन्हें दो सप्ताह के भीतर जेल के अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

परहार क्या है?

■ परचिय:

- परहार (Remission) एक बट्टि पर कसिी दंड या सज़ा की पूर्ण रूप से समाप्ति है। दंड परहार फरलो (Furlough) और पैरोल (Parole) दोनों से अलग है क्योंकि इसमें कारावास-जीवन से वरिम के वपिरीत दंड में कमी कर दी जाती है।
- दंड परहार में सज़ा की प्रकृति बदलती नहीं है, जबकि अवधिकम हो जाती है अरथात् शेष सज़ा भुगतने की ज़रूरत नहीं होती है।
- दंड परहार का प्रभाव यह होता है कि कैदी को एक नशिचति तारीख दी जाती है जसि दनि उसे रहिा कयिा जाएगा और कानून की नज़र में वह एक स्वतंत्र व्यक्ति होगा।
- हालाँकि दंड परहार की कसिी भी शरत के उल्लंघन के मामले में इसे रद्द कर दिया जाएगा और अपराधी को वह पूरी अवधि वापस कारावास में व्यतीत करनी होगी जसिके लयि उसे मूल रूप से सज़ा सुनाई गई थी।

■ संवैधानिक प्रावधान:

- **राष्ट्रपति** और राज्यपाल दोनों को संवैधान द्वारा **क्षमा की संप्रभु शक्ति प्रदान** की गई है।
- **अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति** कसिी भी व्यक्ति की सज़ा को क्षमा, लघुकरण, वरिम या प्रवलिंबन कर सकता है या नलिंबति या कम कर सकता है।
 - यह सभी मामलों में कसिी भी अपराध के लयि दोषी ठहराए गए कसिी भी व्यक्ति हेतु कयिा जा सकता है:
 - सज़ा उन सभी मामलों में कोर्ट-मार्शल द्वारा होगी जहाँ सज़ा केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति से संबंधित कसिी भी कानून के तहत अपराध को संदर्भित करती है और सभी मामलों में मौत की सज़ा होगी।
- **अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल** सज़ा को क्षमा, प्रवलिंबन, वरिम या परहार दे सकता है या सज़ा को नलिंबति, हटा या कम कर सकता है।
 - यह राज्य की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आने वाले मामले में कसिी भी कानून के तहत दोषी ठहराए गए कसिी भी व्यक्ति के लयि कयिा जा सकता है।
- अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से अधिक व्यापक है।

■ परहार की सांघिक शक्ति:

- **दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC)** जेल की सज़ा में दंड परहार का प्रावधान करती है, जसिका अर्थ है कि पूरी सज़ा या उसका एक हिस्सा रद्द कयिा जा सकता है।
- धारा 432 के तहत 'उपयुक्त सरकार' कसिी सज़ा को पूरी तरह या आंशिक रूप से शर्तों के साथ या उसके बिना नलिंबति या माफ कर सकती है।
- धारा 433 के तहत कसिी भी सज़ा को उपयुक्त सरकार द्वारा कम कयिा जा सकता है।
- यह शक्ति राज्य सरकारों को उपलब्ध है ताकि वे जेल की अवधि पूरी करने से पहले कैदियों को रहिा करने का आदेश दे सकें।

■ परहार के ऐतिहासिक मामले:

- **लक्ष्मण नसकर बनाम पश्चिमि बंगाल राज्य (2000):**
 - इस मामले में **सर्वोच्च न्यायालय** ने उन कारकों को निर्धारित कयिा जो परहार के अनुदान को नयित्तरति करते हैं:
 - क्या अपराध बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित कयिा बिना अपराध का एक व्यक्तिगत कार्य है?
 - क्या भवषिय में अपराध की पुनरावृत्ति की कोई संभावना है?
 - क्या अपराधी अपराध करने की अपनी क्षमता खो चुका है?
 - क्या इस दोषी को अब और कैद में रखने का कोई सार्थक उद्देश्य है?
 - दोषी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति।
- **इपुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2006):**
 - SC ने माना कि दंड परहार के आदेश की **न्यायिक समीक्षा** नमिनलिखित आधारों पर उपलब्ध है:
 - दमिग का उपयोग न करना;
 - आदेश दुर्भावनापूर्ण है;
 - आदेश अप्रासंगिक या पूर्णतः अप्रासंगिक विचारों पर पारति कयिा गया है;
 - प्रासंगिक सामग्रियों को विचार से बाहर रखा गया;
 - आदेश मनमानी से गस्त है।

नोट:

- **क्षमादान:** यह सज़ा और दोषसिद्धि दोनों को हटा देता है तथा दोषी को सभी सज़ाओं, दंडों एवं अयोग्यताओं से पूरी तरह से मुक्त कर देता है।
- **संपरविरतन:** यह सज़ा के एक रूप को कम सज़ा के साथ प्रतस्थिति करने को दर्शाता है। उदाहरण के लयि, मौत की सज़ा को कठोर कारावास में बदला जा सकता है।
- **राहत:** यह कसिी विशेष तथ्य, जैसे कसिी दोषी की शारीरिक वकिलांगता या कसिी महिला अपराधी की गर्भावस्था, के कारण मूल रूप से दी गई सज़ा के स्थान पर कम सज़ा देने को दर्शाता है।
- **दंडवरिम:** इसका तात्पर्य अस्थायी अवधि के लयि कसिी सज़ा (विशेष रूप से मौत की सज़ा) के नषिपादन पर रोक लगाना है। इसका उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से माफी या सज़ा में छूट मांगने के लयि समय देना है।

और पढ़ें:

<https://www.drishtijudiciary.com/hin/editorial/Remission-in-Bilkis-Bano-Judgment>

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/bilkis-bano-case-and-remission>

